

प्रेषिका,

शुचि श्रीवास्तव,
अपर प्रधान न्यायाधीश-1,
पारिवारिक न्यायालय,
लखनऊ।

सेवा में,

माननीय निबन्धक, (बजट),
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

विषय:

एल0एल0एम0 के प्रमाणपत्र व उससे सम्बन्धित वित्तीय लाभ के सम्बन्ध में।

महोदय,

ससम्मान अवगत कराना है कि उक्त परिप्रेक्ष्य में आपके द्वारा उठायी गयी आपत्ति संख्या-1 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मेरे द्वारा एल0एल0एम0-प्रथम वर्ष की परीक्षा दिनांक-11 सितम्बर 2020 से 5 अक्टूबर 2020 तक दी गयी थी जिसकी डेट शीट **संलग्न संख्या-1** है। उक्त परीक्षा का अंक पत्र 5 जुलाई सन् 2021 को निर्गत हुआ था जो **संलग्न संख्या-2** है। उक्त परीक्षा में मैं विषय एल 002 इण्डियन कान्सटीट्यूनल लॉ एण्ड न्यू चैलेन्जेस के प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण नहीं हो पायी थी तथा उक्त अंकपत्र में भी यह अंकित है कि उक्त विषय की परीक्षा में मैं मई 2022 तक सम्मिलित होकर उत्तीर्ण हो सकती हूँ।

आपत्ति संख्या-2 के संदर्भ में अवगत कराना है कि मेरे द्वारा एल0एल0एम0 द्वितीय वर्ष की परीक्षा 11 अगस्त 2021 से 27 अगस्त 2021 तक दी गयी थी, जिसकी डेट शीट **संलग्न संख्या- 3** है। जिसका अंक पत्र दिनांक-30.8.2022 को निर्गत हुआ था, जो **संलग्न संख्या 4** है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मैंने मई 2022 को पुनः एलएलएम-प्रथम वर्ष के विषय एल 002 इण्डियन कान्सटीट्यूनल लॉ एण्ड न्यू चैलेन्जेस की परीक्षा दिनांक 20.8.2022 को दी थी, जिसकी डेट शीट **संलग्न संख्या-5** है व जिसमें उत्तीर्ण होने के पश्चात एलएलएम-प्रथम वर्ष का दूसरा अंक पत्र दिनांक 22.1.2023 को निर्गत हुआ था, जो **संलग्न संख्या-6** है। चूंकि मेरे एलएलएम-द्वितीय वर्ष के अंक पत्र दिनांक 30.8.2022 एलएलएम में प्रथम वर्ष का अंक नहीं जोड़ा गया था उक्त दोनों वर्षों के अंको को जोड़कर एल0एल0एम0 पार्ट-2 की अंक तालिका दिनांक 28.2.2023 को निर्गत हुयी थी, जिसके रिजल्ट में उत्तीर्ण तथा कुल योग 787 अंकित होकर मुझे प्राप्त हुआ है, जो **संलग्न संख्या-7** है।

आख्या श्रीमान् जी की सेवा में सादर प्रेषित है।

सादर।

भवदीया,

Shuchi Srivastava

(शुचि श्रीवास्तव)

15-9-2023

दिनांक-15.9.2023

अपर प्रधान न्यायाधीश-1,
पारिवारिक न्यायालय, लखनऊ।